



उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

कार्यालय पता : 274-फेज, 1 - वसन्त विहार, पो0ओ0 एफ0आर0आई0 देहरादून।
दूरभाष :- 2762228, टेलीफैक्स 0135-2762229, कार्यालय वेबसाइट www.uktech.in

114

2

'वित्त समिति' की सप्तम विशेष बैठक कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 10.03.2010 को आई0टी0बी0पी0 कैम्प में आयोजित की गयी, बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1-प्रो0 डी0एस0 चौहान, कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	अध्यक्ष
2-प्रो0 एच0सी0 नैनवाल, प्रति कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	सदस्य
3-श्री राकेश शर्मा, सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4-श्री आर0सी0 शर्मा, संयुक्त सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5-श्री चन्द्र सिंह मेहता, कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	सदस्य
6-श्री भूपेश चन्द्र तिवारी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्री

1-श्री विजय कुमार ढौँडियाल, अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

2-श्री सुनील सिंह, उप-सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

3-श्री एस0ए0 शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0।

बैठक में निम्नानुसार निर्णय / विनिश्चय लिये गये :-

एजेण्डा बिन्दु - 01

दिनांक 01.06.2009 को आयोजित / सम्पन्न वित्त समिति की छठीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 01.06.2009 को आयोजित / सम्पन्न वित्त समिति की छठीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा बिन्दु - 02

उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, देहरादून द्वारा विश्वविद्यालय परिसर का आगणन रु0 2645 लाख पर कार्यवाही।

उक्त प्रकरण पर उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, देहरादून के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आगणन के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट में विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं होगा यदि इसके स्थान पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों के आधार पर प्रस्तुत

(3)

गणन की स्वीकृति प्रदान की जाये तो विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप कार्य पूर्ण कराया जा सकता है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया उक्त आगणन को अनुमोदन हेतु १००००० रुपये के अनुरोध के साथ प्रेषित कर दिया जाये कि वह उसका परीक्षण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों के आधार पर ही करे। स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिंग उक्त आगणन में सम्मिलित विद्युत सम्बन्धी कार्य के लिये निर्माण निगम अलग से प्रस्तुतिकरण समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तथा उक्त समिति द्वारा विद्युतिकरण सम्बन्धी कार्य पर निर्णय अलग से लिया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु - 03
कुलपति महोदय की अनुमति से निम्न बिन्दु विचार हेतु प्रस्तुत किये गये।

विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये स्वीकृत बजट में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम दीक्षान्त समारोह तथा विश्वविद्यालय को सुद्धोवाला में आबंटित भूमि पर किये गये शिलान्यास कार्यक्रम के कारण कुछ मदों में अधिक व्यय संभावित है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय अपने स्तर से वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अनुमोदित कुल बजट की सीमा के अन्दर रहते हुये विभिन्न मदों के पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

मुख्य पूँजी
(मुख्य पूँजी तिवारी)
वित्त नियंत्रक


कुलपति महोदय,